न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 51/2019 स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र

1. कानाराम पुत्र बिरदीचन्द जाति मीना निवासी नांगल उर्फ अभयपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. शम्भू पुत्र गणेश जाति बैरवा निवासी भक्तों की ढाणी लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा।
2. जगदीश पुत्र गंगाधर जाति मीना निवासी नांगल उर्फ अभयपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लालसोट जिला दौसा।
4. श्री हरिताभ कुमार आदित्य उप जिला कलक्टर सिकराय जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

(प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण बअनुवनी प्रकरण शम्भू बनाम जगदीश वगै. मुकदमा नं. 45/2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

उपस्थिति : श्री ऋद्धिचन्द शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
: श्री सुरेश बंशीवाल अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 उपस्थित ।
: अप्रार्थी सं. 02 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आये।

:– निर्णय :– दिनांकः 01.01.2020

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी शम्भू ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नं. 3726 व 3727 कस्बा लालसोट में स्थित है। जिसमें रिहायशी मकानात व रामदेव जी का मन्दिर बना हुआ है जिसमे सैंकडों श्रद्धालु आते जाते रहते है। उक्त मन्दिर हेतु विधायक कोटे से सी सी रोड निर्माण के लिये 3 लाख रूपये स्वीकृत हो चुके है। प्रार्थी की उक्त भूमि व मुख्य सडक के मध्य खसरा नं. 126 व 127 तथा 191/116 स्थित है। जिसमें चालू रास्ता कदीमी बना हुआ है। जिसमें होकर प्रार्थी आवागमन करता है। मन्दिर पर आने जाने के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः खसरा नं. 3726 व 3727 में बने मन्दिर में आवागमन हेतु खसरा नं. 126, 127, 191/116 वाके ग्राम नांगल उर्फ अभयपुरा में होकर रास्ता उपलब्ध कराया जावे। उक्त प्रकरण को एसडीओ दौसा द्वारा निर्णय पारित कर खारिज कर दिया। तत्पश्चात उक्त पत्रावली अपील होकर रिमाण्ड हुई एवं उक्त विवादित भूमि से सम्बन्धित विभिन्न दीवानी व राजस्व न्यायालयों में प्रकरण दर्ज होकर स्थगन आदेश व भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रभाव में चल रहे है। प्रकरण में हाल ही में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से रिमाण्ड होकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के समक्ष विचारण हेतु इस निर्देश के साथ आया कि प्रकरण में कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन करते हुए निर्णय पारित किया जावे, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री हरिताभ कुमार आदित्य माननीय राजस्व मण्डल अजमेर व उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णयों में जारी निर्देशों की अवहेलना कर मनमाने तरीके से निर्णय करने पर आमादा हो रहे है। प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय एसडीओ सिकराय से न्याय की उम्मीद नहीं रही है। इसलिये प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायायल एसडीओ सिकराय में विचाराधीन प्रकरण बअनुवानी शम्भू बनाम जगदीश वगैराह मुकदमा नम्बर 45/2015 को किसी दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायायल में प्रस्तुत किया गया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अति० जिला कलेक्टर
दौसा

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय से तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त होने पर अधिवक्ता प्रार्थी व अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय सिकराय के पीठासीन अधिकारी से न्याय की कतई उम्मीद नहीं रही है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर व उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णयों में जारी आदेशों की अवहेलना कर मनमाने तरीके से निर्णय करने पर आमादा हो रहे है व खुली इजलास में प्रार्थी को कहते है कि तुम्हारी भूमि में से देहन्दा शम्भू को रास्ता निकालूंगा। पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी सं. 4 के रूख व उनकी बातों से स्पष्ट जाहिर होता है कि अप्रार्थी सं. 4 उक्त प्रकरण का निस्तारण प्रार्थी के विरूद्ध व अप्रार्थी के पक्ष में करने पर आमादा हो रहे है। दिनांक 18.10.2019 को अप्रार्थी सं. 1 शम्भू अप्रार्थी सं. 4 के चैम्बर में से हंसते हुए निकल रहा था व ऐलानिया कह रहा था कि उसकी एसडीओ से बात हो गई है तथा मुकदमा का फैसला तो उसके पक्ष में ही होगा चाहे कोई कितना ही जोर लगा ले, कितने ही कानून पेश कर दे, कानून तो आजकल सैटिंग से बनते है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी शम्भू को एसडीओ सिकराय के चैम्बर में से बाहर निकलते देखना व तत्पश्चात अप्रार्थी शम्भू द्वारा ऐलानिया मुकदमा उसके पक्ष में होने की बात कहने से स्पष्ट प्रमाणित हो गया है कि अधीनस्थ न्यायालय एसडीओ सिकराय समस्त कानूनी प्रावधानों को ताक में रख कर प्रकरण का निस्तारण प्रार्थी के विरूद्ध करने पर आमादा है। प्रार्थी को एसडीओ सिकराय से न्याय की कतई कोई उम्मीद नहीं रही है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय एसडीओ सिकराय में विचाराधीन प्रकरण उनवानी शम्भू बनाम जगदीश वगैराह मुकदमा नम्बर 45/2015 को किसी दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावे।

जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जो प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सिकराय में विचाराधीन है। उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट में दर्ज हुआ। उसके बाद प्रार्थी ने झूठे आरोप लगाकर ट्रांसफर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी दौसा के यहां स्थानान्तरित कर दिया गया। उपखण्ड अधिकारी दौसा ने प्रार्थना पत्र के वास्तविक तथ्यों को अनदेखा करते हुए खारिज फरमा दिया गया। जिस पर अप्रार्थी द्वारा राजस्व अपील अधिकारी दौसा में अपील में गये जिस पर राजस्व अपील अधिकारी ने बिना मौका रिपोर्ट पर गौर फरमाये उपखण्ड अधिकारी दौसा का निर्णय बरकरार रखा। जिस पर अप्रार्थी ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील दायर की। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपील स्वीकार फरमायी जाकर प्रकरण को राजस्व अपील अधिकारी दौसा व उपखण्ड अधिकारी दौसा को रिमाण्ड कर 90 दिवस में प्रकरण का निपटारा करने का आदेश फरमाया। उसके बाद प्रार्थी कानाराम पुत्र बिरदीचन्द मीना ने प्रकरण को पुनः उपखण्ड अधिकारी लालसोट को स्थानान्तरित करने का प्रार्थना पत्र अति. जिला कलक्टर दौसा के यहां पेश किया, जिस पर न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा ने प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय को ट्रांसफर कर दिया। जिसकी सुनवाई न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा निष्पक्ष रूप से की जा रही है। प्रार्थी कानाराम पुत्र बिरदीचन्द ने उपखण्ड अधिकारी सिकराय पर गलत आरोप लगाकर स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी बार-बार स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का आदि है। चूंकि प्रार्थी ने अपने कुलषित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी सिकराय पर बेबुनियाद व झूठे, मनगढंत, गलत, असत्य आरोप लगाये है। जिनका कोई आधार नहीं है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्रकरण में दीवानी व राजस्व न्यायालय द्वारा भूमि की मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रभाव में चल रहे है। जो गलत है। सारे तथ्य बनावटी अंकित किये है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अति० जिला कलेक्टर
दौसा

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्रावली में ऐसे कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किये जिससे स्पष्ट होता हो कि पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिकराय की अप्रार्थी सं. 1 शम्भू से मिलीभगत हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में विचाराधीन प्रकरण उनवानी शम्भू बनाम जगदीश वगै. मुकदमा नं. 45/2015 पूर्व में ही न्यायालय उपखण्ड अधिकरी लालसोट से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा से न्यायालय उपखण्ड अधिकरी सिकराय में स्थानान्तरित हो चुका है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण को लम्बे करने की गरज से बार–बार स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 01.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official